

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०-६ / एन०-०८-२९ / २०२०-.....

/ पटना-१५, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-७३३(६), दिनांक-२२.०६.२०२० द्वारा नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४(ii) के आलोक में उषा एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, हाउस नं०-५९ बी०, रोड नं०-८ बी०, राजेन्द्र नगर, पटना-८०००१६ द्वारा प्रस्तावित श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, प्लॉट नं०-ए०-९८, कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी, पंच शिव मंदिर के निकट, पटना-८०००२० के नाम से बी०एस०सी० (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

२ - विभागीय आदेश ज्ञापांक-७८४(६), दिनांक-०१.०७.२०२० द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ० राज नारायण द्विवेदी, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

३ - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, प्लॉट नं०-ए०-९८, कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी, पंच शिव मंदिर के निकट, पटना-८०००२० को नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४ (iii) के आलोक में बी०एस०सी० (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ६० (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, पटना समय-समय पर संस्थान की गुणक्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अहताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेंज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से ५०% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक-९४४(६), दिनांक-२६.०७.२०१९, ६३१(६), दिनांक-१७.०५.२०१९ एवं पत्रांक-९९१(६), दिनांक-०५.०८.२०१९ द्वारा नर्सिंग संस्थानों के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझेंगे एवं भविष्य में निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों का अनुपालन संस्थान अनिवार्य रूप से करेगी।

(छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

४ - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डॉ० नवीन चन्द्र प्रसाद)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6 / एन०-०८-२९ / २०२० ९५९(६)

पटना दिनांक २४/०८/२०२०

प्रतिलिपि:- सचिव, श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल, प्लॉट नं०-१०-९८, कंकडबाग हाउसिंग कॉलोनी, पंच शिव मंदिर के निकट, पटना-८०००२० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, ८वां तल्ल, एन०बी०सी०सी० सेंटर, प्लॉट नं०-२, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज-०१, नई दिल्ली-११००२०/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप सचिव/विशेष सचिव के आप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, आर्यभट नॉलेज युर्निव्हिसिटी, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना-८००००१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

२४/०८/२०२०

-१०-

(माननीय राज्य प्रधान द्वारा)

माननीय राज्य प्रधान

माननीय राज्य प्रधान